

# प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 17.02.2025

## **चोरी व लूट का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष एम्स मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 40/2025 धारा 2(ख),(I) (IV),(XI),(XIV)/3(I) गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम से संबंधित अभियुक्त दयाशंकर उर्फ देवेन्द्र निषाद उर्फ डायना को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा गैंग बनाकर कुसम्ही जंगल (विनोद वन) में घूमने आये प्रेमी युगलों को गम्भीर क्षति का भय दिखाकर अपने को पुलिस कर्मी बताकर कर उनसे लूट-पाट किया जाता था।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/आपराधिक इतिहास-

दयाशंकर उर्फ देवेन्द्र निषाद उर्फ डायना पुत्र हरिलाल निषाद निवासी जंगल रामगढ़ उर्फ रजही टोला रमसरिया थाना एम्स जनपद गोरखपुर

### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 874/2004 धारा 147,504,506,452 भादवि थाना खोराबार गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 828/2006 धारा 379,411 भादवि व 26 वन संरक्षण अधि0 व 2/3 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना खोराबार गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 1010/2007 धारा 147,308,323,452,504,506 भादवि थाना खोराबार गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 1210/2008 धारा 307,379,411 भादवि व 26 वन संरक्षण अधि0 थाना खोराबार गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 1513/2008 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना खोराबार गोरखपुर
6. मु0अ0सं0 1907/2008 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार गोरखपुर
7. मु0अ0सं0 528/2013 धारा 307,353 भादवि थाना खोराबार गोरखपुर
8. मु0अ0सं0 02/2014 धारा 26 वन अधिनियम चौकी जंगल तिकोनिया (फारेस्ट) गोरखपुर
9. मु0अ0सं0 52/2014 धारा 26 वन अधिनियम चौकी जंगल तिकोनिया (फारेस्ट) गोरखपुर
10. मु0अ0सं0 72/2014 धारा 26 वन अधिनियम चौकी जंगल तिकोनिया (फारेस्ट) गोरखपुर
11. मु0अ0सं0 83/2014 धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना खोराबार गोरखपुर
12. मु0अ0सं0 623/2014 धारा 380,454 भादवि थाना खोराबार गोरखपुर
13. मु0अ0सं0 645/2014 धारा 120बी,379,411 भादवि व 26 वन अधिनियम थाना खोराबार गोरखपुर
14. मु0अ0सं0 57/2015 धारा 26 वन अधिनियम चौकी जंगल तिकोनिया (फारेस्ट) गोरखपुर
15. मु0अ0सं0 79/2015 धारा 26 वन अधिनियम चौकी जंगल तिकोनिया (फारेस्ट) गोरखपुर
16. मु0अ0सं0 668/2015 धारा 379,411 भादवि व 26 वन अधि0 थाना खोराबार गोरखपुर
17. मु0अ0सं0 712/2016 धारा 323,504,506 भादवि व 3(1),(VI),(X) एससी/एसटी एक्ट थाना खोराबार गोरखपुर
18. मु0अ0सं0 1018/2016 धारा 394,411,506 भादवि थाना खोराबार गोरखपुर
19. मु0अ0सं0 1035/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार गोरखपुर
20. मु0अ0सं0 1036/2016 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना खोराबार गोरखपुर

21. मु0अ0सं0 05/2020 धारा 26 वन अधिनियम चौकी जंगल तिकोनिया (फारेस्ट) गोरखपुर
22. मु0अ0सं0 08/2020 धारा 26 वन अधिनियम चौकी जंगल तिकोनिया (फारेस्ट) गोरखपुर
23. मु0अ0सं0 09/2020 धारा 26 वन अधिनियम चौकी जंगल तिकोनिया (फारेस्ट) गोरखपुर
24. मु0अ0सं0 28/2020 धारा 26 वन अधिनियम चौकी जंगल तिकोनिया (फारेस्ट) गोरखपुर
25. मु0अ0सं0 29/2020 धारा 26 वन अधिनियम चौकी जंगल तिकोनिया (फारेस्ट) गोरखपुर
26. मु0अ0सं0 48/2022 धारा 26 वन अधिनियम चौकी जंगल तिकोनिया (फारेस्ट) गोरखपुर
27. मु0अ0सं0 75/2022 धारा 26 वन अधिनियम चौकी जंगल तिकोनिया (फारेस्ट) गोरखपुर
28. मु0अ0सं0 77/2022 धारा 26 वन अधिनियम चौकी जंगल तिकोनिया (फारेस्ट) गोरखपुर
29. मु0अ0सं0 811/2022 धारा 379,411 भादवि0 व 26 वन अधिनियम थाना खोराबार गोरखपुर
30. मु0अ0सं0 18/2023 धारा 26 वन अधिनियम चौकी जंगल तिकोनिया (फारेस्ट) गोरखपुर
31. मु0अ0सं0 48/2023 धारा 26 वन अधिनियम चौकी जंगल तिकोनिया (फारेस्ट) गोरखपुर
32. मु0अ0सं0 63/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना एम्स गोरखपुर
33. मु0अ0सं0 65/2024 धारा 323,504,506 भादवि0 थाना खोराबार गोरखपुर
34. मु0अ0सं0 303/2024 धारा 386,392,506,411,34 भादवि0 थाना एम्स गोरखपुर
35. मु0अ0सं0 306/2024 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 224, 225, 186, 504, 506, 307, 170, 171, 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि0 व 4/25 आयुध अधिनियम व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना एम्स गोरखपुर
36. मु0अ0सं0 40/2025 धारा 2(ख),(I) (IV),(XI),(XIV)/3(I) गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना एम्स गोरखपुर

### गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. हे0कां0 संजय कुमार सिंह थाना एम्स जनपद गोरखपुर
3. कां0 शशिकान्त सिंह थाना एम्स जनपद गोरखपुर